भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. ***134**

08.12.2015 को उत्तर के लिए

पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का सीमांकन

***134.** श्रीमती पूनम महाजन **:**

श्री ए. अरूणमणिदेवन **:**

क्या पर्यावरण**,** वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **देश में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के सीमांकन के संबंध में राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है** ;

(ख) **क्या सरकार को संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के सीमांकन और इसके लिए अधिसूचना जारी करने के संबंध में विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं** ;

(ग) **यदि हां, तो तत्संबंधी महाराष्ट्र और गुजरात सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई और जारी की गई है और जारी की गई तथा अभी तक लंबित अधिसूचनाओं का ब्यौरा क्या है** ;

(घ) **इस संबंध में सरकार के सामने कौन-सी बाधाएं, यदि कोई हों, आ रही हैं ; और**

(ड.) **पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों सहित संरक्षित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए अंतिम अधिसूचना कब तक जारी किए जाने की संभावना है** ?

उत्तर

पर्यावरण**,** वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री **(**स्वतंत्र प्रभार**)**
(श्री प्रकाश जावडेकर**)**

(क) से (ड.) **एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।**

****

'पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के सीमांकन' के बारे में दिनांक 08.12.2015 को उत्तर के लिए श्रीमती पूनम महाजन और श्री ए. अरूणमणिदेवन **द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *134 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।**

(क) से (ड.) **भारतीय वन्यजीव बोर्ड (आईबीडब्ल्यूएल) द्वारा माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में** 21 **जनवरी**, 2002 **को हुई अपनी** 21**वीं बैठक में अंगीकृत राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना** (2002-2016) **के अनुसार, इस बात पर जोर दिया गया था कि *"संरक्षित क्षेत्रों और वन्यजीव गलियारों के आस-पास के सभी अभिज्ञात क्षेत्रों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए"* ।**

वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के आस-पास पारिस्थितिकीय रूप से संवदेनशील क्षेत्र घोषित करने के लिए इस मंत्रालय में दिनांक 4.12.2015 **तक विभिन्न राज्य सरकारों से सभी प्रकार से पूर्ण** 238 **प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । मंत्रालय द्वारा अब तक वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के आस-पास पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) घोषित करने से संबंधित** 229 **प्रस्ताव अनुमोदित/अधिसूचित किए गए हैं । इनमें से** 107 **भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जा चुके हैं, जिनमें से** 79 **प्रारूप अधिसूचनाएं हैं और** 28 **अंतिम अधिसूचनाएं हैं । पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के सीमांकन और इन्हें भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के संबंध में महाराष्ट्र और गुजरात सहित राज्य-वार ब्यौरा तथा प्रक्रियाधीन प्रस्तावों की स्थिति अनुबंध में दी गइर् है । अपूर्ण प्रस्ताव और अधूरी सूचना वाले प्रस्तावों को अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को वापस भेजा गया है ।**

मंत्रालय में पारिस्थितिकीय रूप से संवदेनशील क्षेत्रों की अधिसूचना की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है । पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के संबंध में राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए मंत्रालय में राज्य-वार विशेष बैठकें आहूत की जा रही हैं । ईएसजेड के विस्तार, जैव-विविधता और वन्यजीव गलियारा मान, ईएसजेड में प्रतिबंधित/विनियमित क्रिया-कलापों की सूची का आकलन करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को भारतीय वन्यजीव संस्थान को भेजा जाता है । ईएसजेड का विस्तार सुनिश्चित करने के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाता है । अंतिम अधिसूचना जारी करने से पहले राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों और भारतीय वन्यजीव संस्थान की सिफारिशों की मंत्रालय द्वारा और एक विशेष समिति द्वारा भी जांच की जाती है । इससे न्यायोचित ईएसजेड सुनिश्चित होता है । पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने की प्रक्रिया में विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाने वाली कानूनी विधीक्षा भी शामिल है ।

समय-समय पर यथा संशोधित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 **और पर्यावरण (संरक्षण) नियम**, 1986 **के उपबंधों के तहत वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के आस-पास पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में, प्रारूप अधिसूचना के प्रकाशन से** 60 **दिन के भीतर पणधारियों से आपत्तियां और सुझाव मांगना शामिल है । समय-समय पर यथा संशोधित, पर्यावरण (संरक्षण) नियम**, 1986 **के अनुसार, प्रारूप अधिसूचना को उसके प्रकाशन की तारीख से** 545 **दिन के भीतर अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक होता है । इस मंत्रालय ने पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की अधिसूचनाओं का प्रकाशन समयबद्ध ढंग से उच्च प्राथमिकता देकर किया है ।**

****

अनुबंध

क्रम सं.	राज्य	मंत्रालय के पास पूर्ण प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित/अधिसूचित प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित/अधिसूचित ईएसजेड प्रस्तावों के अंतर्गत शामिल किए गए संरक्षित क्षेत्रों की संख्या	प्रक्रियाधीन प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	15	14	14	1
2	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	9	9	9	0
4	असम	7	6	6	1
5	बिहार	6	5	5	1
6	छतीसगढ़	8	8	8	0
7	चंडीगढ़	2	2	2	0
8	दादरा नगर हवेली	1	1	1	0
9	दमन और दीव	0	0	0	0
10	दिल्ली	0	0	0	0
11	गोवा	6	6	7	0
12	गुजरात	14	14	15	0
13	हरियाणा	8	8	9	0
14	हिमाचल प्रदेश	16	15	16	1
15	जम्मू और कश्मीर	1	0	0	1
16	झारखंड	3	3	5	0
17	कर्नाटक	21	21	21	0
18	केरल	16	16	16	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	18	18	21	0
21	महाराष्ट्र	19	18	27	1
22	मणिपुर	6	5	5	1
23	मेघालय	3	3	3	0
24	मिजरोम	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	0
26	उड़ीसा	8	7	9	1
27	पंजाब	14	13	13	1
28	पांडेचरी	0	0	0	0
29	राजस्थान	15	15	15	0
30	सिक्किम	8	8	8	0
31	तमिलनाडु	2	2	2	0
32	त्रिपुरा	2	2	2	0
33	उत्तर प्रदेश	7	7	7	0
34	उत्तराखंड	2	2	2	0
35	पश्चिम बंगाल	1	1	1	0
	कुल	**238**	**229**	**249**	**9**

****